ग्राम गांवडी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/12/24.	पत्रावली बावत् आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है – प्रार्थी दीनदयाल द्वारा एक वाद वास्ते राजस्व दुरुस्ती एवं घोषणा बाबत प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गांवडी में ख.नं. 44 रकबा 0.18 हेक्टेयर आराजी गणपती बेवा रोडू के नाम दर्ज है। वादी को खातेदार द्वारा 1977 में गोद लिया था। खातेदार का 6.7.2001 को देहान्त हो चुका है। वादी गणपती बेवा रोडू का एकमात्र वारिस है अतः उक्त जमाबन्दी में मृतक खातेदार के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावे। प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादी तहसीलदार से प्रतिउत्तर प्राप्त किया गया। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अंकित किया गया है कि वादी के पास मृतक खातेदार गणपती बाई पत्नी स्व. रोडू जाति बैरवा सा. देह के गोद जाने से सम्बन्धित खातेदार की मृत्यु दिनांक से पूर्व का मृतका द्वारा तहरीर किया अथवा करवाया गया किसी	

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	प्रकार का गोद पुत्र मौजूद नहीं है। अत: तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वाद खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थी तथा अभिभावक प्रार्थी के लगातार अनुपस्थित रहने से उनकी शपथपत्र व बहस निष्पादित नहीं की जा सकी। प्रकरण अदम हाजरी में खारिज होने योग्य था, लेकिन क्योंकि स.नं.44 का वारीशान निर्धारित किया जाना है अत: प्रकरण पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर मेरिट पर निर्धारित किया जा रहा है। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों व प्रतिवादी तहसीलदार लाडपुरा के जवाब का गहनतापूर्वक अध्ययन किया। वादी द्वारा अपने दावे के सम्बन्ध में कोई भी सक्षम दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है। वादी जिस गोदनामे के आधार पर न्यायालय में उपस्थित हुआ है, वह गोदनामा भी न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त परिस्थितियों में हम प्रतिवादी तहसीलदार का जवाब पूर्णतया स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाना न्यायोचित पाते हैं। अत: वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह मृतक खातेदार गणपति के वारिसान की जाँच कर नियमानुसार फौती इन्तकाल दर्ज करे तथा यदि कोई भी वारिस नहीं है तो राजस्थान राजगामी सम्पत्ति अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित करे। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे। पत्रावली के मुताबिक सफल होकर दाखिल दफ्तर हो। 30/4/27 उपखण्ड अधिकारी कोटा (मुहर: उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★ राजस्थान)	